

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक: एफ13/1/3/वीएस/डीईएस/वी.पं/2017/245

दिनांक: 16/04/2018

जिला नोडल विवाह पंजीयन अधिकारी एवं
उप/सहायक निदेशक
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,
समस्त

विषय:- विधवा/विधुर के विवाह पंजीयन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- निदेशालय का पत्रांक 221 दिनांक 10.04.2018 के क्रम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रकरण अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत लिये जाने वाले शपथ पत्रों के सम्बन्ध में गृह (गुप-13) विभाग के पत्र दिनांक 22.03.2017 द्वारा यह मार्गदर्शन दिया गया था कि "विधि विभाग की राय के अनुसार विवाह पंजीयन में शपथ पत्र पब्लिक नोटेरी से प्रमाणित एवं उन पर नियमानुसार नोटेरी टिकट लगाने अनिवार्य है।

उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 10.04.2018 द्वारा विधवा/विधुर के विवाह पंजीयन के सम्बन्ध में भिजवाये गये तीनों शपथ पत्रों को नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित कराया जाना अनिवार्य है। अतः बिन्दूवार शपथ पत्रों को निम्नानुसार पढा जावे:-

1. विवाह के मृतक पक्ष (वर/वधू) की ओर से माता/पिता अथवा संरक्षक की ओर से दिये जाने वाला शपथ पत्र नोटेरी द्वारा सत्यापित।
2. शपथ पत्र विधवा/विधुर द्वारा पाई पेपर पर नोटेरी द्वारा सत्यापित
3. विवाह की पुष्टि हेतु दो स्वतंत्र गवाहों के शपथ पत्र अलग अलग पाई पेपर पर नोटेरी द्वारा सत्यापित

विवाह पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये जाने आवेदन पत्र के साथ विवाह के मृतक पक्ष का मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से लिया जावे।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

उप निदेशक (जीवनांक)

क्रमांक: एफ13/1/3/वीएस/डीईएस/वी.पं/2017/246-248
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक: 16/04/2018

1. जिला विवाह पंजीयन अधिकारी एवं कलेक्टर, जिला.....।
2. निजी सचिव, महारजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) एवं निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, योजना भवन, जयपुर।
3. विवाह पंजीयन अधिकारी एवं रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु), नगर निगम, जयपुर

उप निदेशक (जीवनांक)



राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक:- एफ13/1/3/अ.अभि./वि.पं/वीएस/डीईएस/2018/ 158

दिनांक: 09/04/2019

जिला नोडल अधिकारी
(विवाह पंजीयन) एवं
उप/सहायक निदेशक
राजस्थान

विषय:- राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 2009 के अन्तर्गत विवाहों के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में मार्गदर्शन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 2009 के अन्तर्गत राज्य में अनुष्ठापित विवाहों का पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है। आमजन को विवाह पंजीकरण में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु निम्न निर्णय द्वारा विवाह पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करावे।

विधवा/विधुर के अनुष्ठापित किये गये विवाह के पंजीकरण हेतु जिस पक्ष की मृत्यु हो चुकी है विवाह के साक्ष्य के लिये उसके माता पिता अथवा संरक्षक द्वारा शपथ पत्र नहीं दिये जाने एवं विवाह के अन्य सभी साक्ष्य रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत होने पर रजिस्ट्रार मृतक के माता पिता अथवा संरक्षक को विवाह के पंजीकरण के संबंध में 15 दिवस में शपथ पत्र देने एवं उपस्थित होने हेतु रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित करेगा। रजिस्टर्ड नोटिस के पश्चात भी यदि मृतक पक्ष के माता, पिता अथवा संरक्षक शपथ पत्र नहीं देते हैं अथवा/ और उपस्थित नहीं होते हैं तो निम्न प्रक्रिया द्वारा विवाह पंजीयन करवाया जावे:-

"रजिस्ट्रार विवाह में उपस्थित अन्य चार प्रतिष्ठित गवाहों के शपथ पत्र एवं बयान पश्चात सम्पूर्ण तथ्यों की जांच करेगा एवं स्वयं की संतुष्टि उपरान्त विवाह के मृतक पक्ष के माता पिता/संरक्षक की उपस्थिति की छूट देकर नियमानुसार विवाह का पंजीकरण करेगा एवं पंजीकरण रजिस्टर में संबंधित गवाहों के हस्ताक्षर भी लेगा।

(डॉ० ओम प्रकाश बैरवा)
महारजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ13/1/3/जेआर/ वीएस/डीईएस/2016/ 159-160

दिनांक: 09/04/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विवाह पंजीयन अधिकारी एवं आयुक्त, नगर निगम, जिला
2. जिला कलेक्टर एवं विवाह पंजीयन अधिकारी.....

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

—(विवाह के मृतक पक्ष (वर/वधू) की ओर से माता/पिता अथवा संरक्षक की ओर से दिये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित)

शपथ-पत्र

मैं पुत्र/पत्नी श्री/श्रीमती.....जाति उम्र
निवासीशपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि:-

1. यह है कि मेरे पुत्र/पुत्री स्व. श्री/श्रीमती..... निवासी
..... का विवाह श्री/श्रीमती..... पुत्र/पुत्रीजाति
..... उम्र निवासी का विवाह सभी परिजनों
एवं मेहमानों के सामने पूर्ण धार्मिक विधि विधान एवं रीति-रिवाज से पाणिग्रहण संस्कार
पुरोहित/काजी/पादरी के द्वारा विवाह स्थल: में दिनांक
को सम्पन्न करवाया गया था।
2. यह कि दिनांक मेरे पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती की विवाह
उपरान्त मृत्यु हो गई है।
3. (A) विवाह स्थल आपके क्षेत्राधिकार में आता है, अतः विवाह का पंजीयन कर विवाह
प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

अथवा

(B) विवाह स्थल आपके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है लेकिन आवेदन के समय वर/वधू
गत 30 दिनों की अवधि से आपके क्षेत्राधिकार में (पूर्ण पता लिखा जावे)
..... पर निवास कर रहा/रही है। अतः निवास स्थान के आधार पर विवाह
का पंजीयन कर विवाह प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

(A एवं B में से जो लागू न हो उसे काट दें)

4. उक्त विवाह में मैं स्वयं उपस्थित था/थी। विवाह का/की मैं चश्मदीद गवाह हूँ।
5. यह है कि राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 2009 के अन्तर्गत
आज दिनांक से पहले कही भी उक्त विवाह स्थल एवं निवास स्थान के
आधार पर उक्त विवाह का विवाह पंजीयन कराकर विवाह प्रमाण पत्र नहीं लिया है ना
ही कही आवेदन किया है।
6. मैं यह शपथ पत्र पूर्ण होश-हवास बिना किसी नशे-पते, जोर जबरदस्ती, दबाव के एवं
स्वस्थ चित्त दिमाग से दे रहा/रही हूँ।

हस्ताक्षर शपथगृहिता

सत्यापित

मैं उपरोक्त शपथगृहिता सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र के
समस्त तथ्य मेरी निजी जानकारी में सही एवं दुरुस्त हैं इसमें कुछ भी असत्य अंकित नहीं है।

शपथ पत्र (विवाह की पुष्टि हेतु दो स्वतंत्र गवाहों अलग अलग पाई पेपर पर

नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापित)

मैं.....पुत्र/पुत्री श्री.....जाति.....उम्र.....निवासी (पूर्ण पता).....
.....शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि:-

1. यह है कि श्रीपुत्र श्री.....स्थायी निवासी (पूर्ण पता).....का विवाह श्रीमतीपुत्री श्री.....निवासी(पूर्ण पता पत्नी के पिता का).....में सभी परिजनों एवं मेहमानों के सामने पूर्ण धार्मिक विधि विधान से पाणिग्रहण संस्कार पुरोहित/पादरी/काजी द्वारा विवाह स्थल.....जिला.....राज्य.....में दिनांकको सम्पन्न करवाया गया था।
2. उक्त विवाह में मैं स्वयं उपस्थित था/थी जिसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ।
3. यह है कि वर/वधू श्री/श्रीमतीकी विवाह उपरान्त दिनांकको मृत्यु हो चुकी है।
4. यह है कि उपरोक्त वैवाहिक दम्पति के रूप में निवास कर रहे थे इसकी मुझे जानकारी है।
5. यह है कि विवाह के आवेदनकर्ता श्री/श्रीमतीगत 30 दिनों से निवास स्थानपर निवास कर रहा /रही है।
6. मैं यह शपथ पत्र पूर्ण होश-हवास बिना किसी नशे-पते, जोर जबरदस्ती, दबाव के एवं स्वस्थ चित्त दिमाग से दे रहा/रही हूँ।

हस्ताक्षर शपथगृहिता

सत्यापित

मैं.....उपरोक्त शपथगृहिता सत्यापित करता हूँ कि उक्त शपथ पत्र के समस्त तथ्य मेरी निजी जानकारी में सही एवं दुरुस्त हैं इसमें कुछ भी असत्य अंकित नहीं है। अगर इसमें किसी प्रकार की भविष्य में असत्यता पायी जाती है तो मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा। ईश्वर मेरा साक्षी है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर सत्यापितकर्ता

नमूना शपथ पत्र विधवा/विधुर द्वारा पाई पेपर पर नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापित

मैं.....पुत्र/पुत्री श्री.....जाति.....उम्र.....निवासी (पूर्ण पता पिता का).....

.....शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि:-

1. यह है कि मेरा विवाह श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री श्री.....निवासी (पूर्ण पता पिता का).....के साथ विवाह स्थल (पूर्ण पता विवाह स्थल का).....जिला.....राज्य.....में दिनांक.....को सम्पन्न हुआ था:-

(A) विवाह स्थल आपके क्षेत्राधिकार में आता है अतः मेरा विवाह पंजीयन कर विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

अथवा

(B) विवाह स्थल आपके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है लेकिन आवेदन के समय 30 दिनों से अधिक की अवधि से आपके क्षेत्राधिकार में निवास (पूर्ण पता).....पर रह रहा/रही हूँ अतः निवास स्थान के आधार पर मेरा विवाह पंजीयन कर विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

(A एवं B में से जो लागू न हो उसे काट दें)

2. यह है कि अनिवार्य विवाह पंजीयन अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत आज दिनांकसे पहले कहीं भी विवाह का पंजीयन कराकर विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र नहीं लिया है ना ही कहीं आवेदन किया है। अब मुझे विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।
3. यह है कि मेरे पति/पत्नी श्री/श्रीमती की मृत्यु विवाह उपरान्त दिनांक को हो गई है।
4. यह है कि मैं और मेरी पत्नी श्रीमती /मेरे पति श्री की मृत्यु से पूर्व तक हम वैवाहिक दम्पति के रूप में साथ-साथ रह रहे थे।
5. यह है कि दिनांक (विवाह के एक दिन पहले की दिनांक अंकित करें).....तक मैं अविवाहित/विधुर/तलाशुदा था/थी। (जो भी उचित हो लिखें)
6. मैं यह शपथ पत्र अपने विवाह पंजीयन हेतु पूर्ण होश-हवास बिना किसी नशे-पते, जोर जबरदस्ती, दबाव के एवं स्वस्थ चित्त दिमाग से दे रहा/रही हूँ।

हस्ताक्षर शपथगृहिता

सत्यापित

मैं.....उपरोक्त शपथगृहिता सत्यापित करता/करती हूँ कि शपथ पत्र की मद संख्या 1 से 6 सही एवं सत्य है इसमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है अगर इसमें किसी प्रकार की भविष्य में असत्यता पायी जाती है तो मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी। ईश्वर मेरा साक्षी है।

दिनांक.....